



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1047/13 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय स्पे0 जज ईसी एक्ट/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त एचएस 01.कौशल पुत्र बदलू निवासी खालेपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष के कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री सुशील  
कुमार त्रिपाठी



विवेचक-  
निरीक्षक प्रमोद  
कुमार सिंह



पैरोकार-थाना को0 नगर  
हे0का0 बिजमान